उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ–226001
दूरभाष : 0522–262173, 2274250
फैक्स : 0522–2623578, 2615526
ई–मेल आई.डी. :– (amopupsrtc@gmail.com)

पत्र सं0– 44 आर0डब्ल्यू0ए0 / 19–1 आर0डब्ल्यू0ए0 / दुर्घ0 / एस0ओ0पी0 / 13 दिनाँक : /2जुलाई, 2019

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / सेवा प्रबन्धक,
समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपोज),
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः निगम वाहनों से दुर्घटना होने पर तत्काल अटैण्ड कर निगम अधिकारियों द्वारा दुर्घटना प्रकोष्ठ / पोर्टल पर दुर्घटना की सूचना देने एवं स्तरीय परिचालन कार्य प्रणाली (एस0ओ0पी0) के नियम / शर्तों के अतिरिक्त संलग्न बिन्दुओं का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मुख्यालय के पत्र संख्या–303 आर0डब्ल्यू0ए0 / 13 दिनाँक 30.08.2013, पत्र संख्या–201 आर0डब्ल्यू0ए0 / 15 दिनाँक 07.05.2015 एवं पत्र संख्या–611 आर0डब्ल्यू0ए0 / 15 दिनाँक 31.08.2015, पत्र संख्या–215 आर.डब्ल्यू.ए. / 16–1 आर.डब्ल्यू.ए. / दुर्घ0 / एस.ओ.पी. / 13 दिनाँक 10.11.2016 एवं पत्र संख्या–20 आर.डब्ल्यू.ए. / 18 दिनाँक 26.04.2018 के द्वारा निगम वाहनों से दुर्घटनाएं होने पर दुर्घटनाओं को अटैण्ड किये जाने के उपरान्त सूचना मुख्यालय को दुर्घटना स्थल के फोटो सहित उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु प्रायः यह देखा जा रहा है कि उक्त आदेश का क्षेत्रीय स्तर पर शत–प्रतिशत अनुपालन नही किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है, शासन स्तर पर भी समीक्षा के दौरान गम्भीर चिन्ता एवं खेद व्यक्त किया गया है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.07.2019 को यमुना एक्सप्रेस–वे पर जनरथ बस संख्या–यू0पी0–33 / ए0टी0–5877 अवध डिपो के चालक को नींद आ जाने के कारण बस, झरना नाला मे गिर गयी, जिसमें बस में यात्रारत् चालक सहित 29 यात्रियों की दर्दनाक मौत एवं परिचालक सहित 23 यात्री गम्भीर रूप से घायल हो गये, जिसके कारण परिवहन निगम को क्षति के साथ–साथ शासन–प्रशासन एवं निगम की छवि भी धूमिल हुई।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि दुर्घटना होने के उपरान्त जिस क्षेत्र के अन्तर्गत घटना स्थल आता है, तो उस क्षेत्र के सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा समय से दुर्घटना अटैण्ड करने एवं आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने मे लापरवाही बरती जा रही है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर या उपरोक्त निर्गत आदेशों के अनुक्रम में किसी प्रकार की अवहेलना, शिथिलता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है तो संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक / सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के स्तर से निगम मुख्यालय के मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन) एवं प्रधान प्रबन्धक (संचालन) को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

" स्तरीय परिचालन कार्य प्रणाली (एस0ओ0पी0)" में दिये गये निर्देशों एवं संलग्न मुख्य बिन्दु का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। उपरोक्त आदेशों में किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक / सेवा प्रबन्धक तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक / डिपो प्रभारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। (मुख्य बिन्दु की छायाप्रति)

(राजेश वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन)

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1– सहायक प्रबन्धक, अध्यक्ष, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2– सहायक प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3– सहायक प्रबन्धक, अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4– मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन / संचालन / प्राविधिक), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5– समस्त प्रधान प्रबन्धक / नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(राजेश वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन)

Downloaded from www.upsrtc.com

स्तरीय परिचालन कार्य प्रणाली (एस0ओ0पी0) के मुख्य बिन्दु का विवरण।

- दुर्घटना की सूचना तत्काल यू0पी0 100 एवं विभागीय हेल्पलाइन नम्बर 1800–180–2877 तथा प्रधान प्रबन्धक (दुर्घटना) को मोबाइल पर एवं विभागीय व्हॉट्स ऐप ग्रुप (दुर्घटना प्रकोष्ठ) में देंगें।
- फैटल दुर्घटनाओं को दुर्घटना क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सेवा प्रबन्धक द्वारा अटैण्ड की जायेगी।
- दुर्घटना में मृत्यु एवं घायल यात्रियों को तत्काल आर्थिक सहायता घटित क्षेत्र एवं स्थान के क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- चालक/परिचालक घायल यात्रियों के लिये ऐम्बुलेंस (108) को तुरन्त बुलायेंगे।
- चालक/परिचालक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट निकटतम थाने में तत्काल दर्ज करायी जायेगी।
- दुर्घटना के उपरान्त चालक का मेडिकल चेकअप तत्काल कराया जाना अनिवार्य होगा।
- दुर्घटना में दोषी पाये जाने पर नियमित चालक को निलम्बित कर नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही एवं संविदा चालक की संविदा समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाये।
- चालक को इमरजेन्सी रिस्पान्स सिस्टम यू0पी0 100 से लिंक कराया जाये।
- कार्यशाला से बस आउटशेडिंग से पूर्व बस की यान्त्रिक स्थिति एवं चालक का ब्रेथ एनालाईजर से परीक्षणोपरान्त ड्यूटी पर भेजना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाये।
- बस को कार्यशाला से संचालन हेतु भेजने से पूर्व बस का आपातकालीन द्वार का परीक्षण गम्भीरता से किया जाये एवं निगम की सभी ए0सी0 बसों में आकस्मिक अवस्था मे शीशा तोड़ने हेतु हथौड़ा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करायी जाये।
- दुर्घटना की सूचना विलम्ब से देने पर संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक एवं डिपो प्रभारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(जयदीप वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्राविधिक)

(राजेश वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन)

Downloaded from www.upsrtc.com